न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 164/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/25

अनवान

1. श्री किशन लाल पिता श्री रामा निवासी पीथलपुरा तहसील वल्लभनगर उपतहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री हर लाल पिता श्री रामा निवासी पीथलपुरा तहसील वल्लभनगर उपतहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भैरू लाल पिता श्री रामा प्राकृतिक पिता गोद पुत्र श्री सवला उर्फ सवलाल जाट तहसील वल्लभनगर उपतहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी वल्लभनगर उपतहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा0टि0ए0

–: : निर्णय : :–

दिनांक 08.07.2024

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पीथलपुरा पटवार सर्कल पीथलपुरा के खाता संख्या 60 पुराना नया 80 एवं खाता खाता संख्या 61 पुराना नया 23 एवं नया खाता संख्या 142 पर निम्न लिखित आराजीयात अंकित है जिसको परिशिष्ट (क) (ख) (ग) में अंकित की जा रही है जिसको परिशिष्ट (क) खाता संख्या 60 पुराना नया 80 आराजी न. 193/2, 250, 252/3, 332, 339, 402/2, 404/2, 411/2, 415, 422, 431/2 किता रकबा 37 बिघा 14 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या 61 पुराना नया 23 आराजी संख्या 252/1, 403 किता 2 रकबा 7 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ग) खाता संख्या 142 नया आराजी संख्या 391, 406 किता रकबा 22 बिघा 08 बिस्वा भूमि है। वादग्रस्त आराजीयात में मूल पुरूष श्री नवला जी थे जिनके चार पुरूष सन्तान सवला उर्फ सवलाल, मगना, रामा, व मेघा हुए जिसमें मगना के निर्वसियती लाऔलाद फौत हो जाने से उनके हक हिस्से की भूमि तीनों भाईयों में मर्ज हो गई यानि कि जो आराजीयात मूल पुरूष नवला के नाम पर दर्ज थी उसमें 1/3 हिस्सा सवला उर्फ सवलाल, 1/3 हिस्सा रामा व 1/3 हिस्सा मेघा का हो गया था तथा सवला उर्फ सवलाल के कोई पुरूष सन्तान नही होने से उन्होंने सामाजिक रस्म रिवाज के अनुसार श्री रामा जी के पुत्र भैरूलाल को गोद रख लिया जिससे भैरूलाल सवला उर्फ सवलाल का गोद पुत्र होकर उनके साथ ही निवास करने लगा व [illegible] लगा तथा पश्चात वादीगण के पिता श्री रामा जी की मृत्यु होने से भैरूलाल [illegible] लिखा कानून का जानने वाला व्यक्ति होकर पेशे से अध्यापक [illegible] रामा जी की [illegible] से खुद नामान्तरण में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया तथा [illegible] सवलाल के मरणोपरान्त उनका नामान्तरण अकेली उनकी पुत्री स्याणी बाई के पक्ष [illegible] खुलवाकर उसका हक स्वयं के पक्ष में करवा लिया। इस प्रकार से भैरूलाल सवला उर्फ सवलाल के गोद चला गया था इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 का रामाजी की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

हम वादीगण श्री रामा जी के जीवनकाल से ही उनके हिस्से आई 1/3 भू-भाग काबिज को काश्त कर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है तथा इसी प्रकार प्रति संख्या 1 भी श्री सवला उर्फ सवलाल के हिस्से की 1/3 भूमि पर काबिज उपयोग-उपभोग कर रहा है किन्तु रामाजी के हिस्से कि 1/3 भूमि में प्रतिवादी संख्या भैरूलाल का नाम दर्ज हो जाने से हम वादीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 श्री भैरूलाल के सवला उर्फ सवलाल के गोद पुत्र उसका हक अधिकार मात्र सवला उर्फ सवलाल जी के हिस्से कि सम्पति में बनता प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल का श्रीरामा जी सम्पति में कोई हक अधिकार नही होते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर श्रीरामाजी की सम्पति में उसका नाम दर्ज हो से वादीगण के हक अधिकार पर प्रति प्रभाव पड रहा है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के वादीगण को जबरन बेदखल करने व सम्पति को विक्रय करने व खुर्द बुर्द करने धमकीया दी जा रही है जिससे निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात में खातेदार रामाजी के हिस्से में भैरूलाल का नाम हटाकर कुलिया भूमि में हम वादीगण को हिस्से का खातेदार काश्त कार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी में अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रदान क जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से जवाब प्रस्तुत कर खण्डन नही गया तथा अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2 राजपरोकार द्वारा जवाब नही देना चाहा। प्रकरण में वादी प्रारम्भ की गई । अधिवक्ता वादी द्वारा शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 किशनलाल पिता जाट, पीडब्ल्यू-2 चम्पालाल पिता कन्ना जाट, पीडब्ल्यू-3 कनीराम पिता रूपालाल पीडब्ल्यू-4 प्रतापलाल पिता कन्ना कुम्हार के पेश किये गये तथा दस्तावेज के जमाबंदी संवत 2067-70 की खाता संख्या नया 23 की जमाबंदी प्रदर्श-1, खाता नया 88 की जमाबंदी प्रदर्श-2, खाता संख्या नया 142 की जमाबंदी प्रदर्श-3, 2050-53 खेवट खतौनी की जमाबंदी प्रदर्श-4, 5 कराई गई तथा संवत 2078-8 जमाबंदी प्रदर्श-6, 7, 8 व मिलान खसरा प्रदर्श- 9 से 15 कराए गए साथ ही हक की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श- 16 कराई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी बहस सुनी। वादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में कि वादग्रस्त आराजीयात में मूल पुरूष श्री नवला जी थे जिनके चार पुरूष सन्तान उर्फ सवलाल, मगना, रामा, व मेघा हुए जिसमे मगना के निर्वसियती लाऔलाद फो जाने से उनके हक हिस्से की भूमि तीनों भाइयो मे मर्ज हो गई यानि कि जो आरा मूल पुरूष नवला के नाम पर दर्ज थी उसमे 1/3 हिस्सा सवला उर्फ सवलाल, हिस्सा रामा व 1/3 हिस्सा मेघा का हो गया था तथा सवला उर्फ सवलाल के कोई सन्तान नही होने से उन्होने सामाजिक रस्म रिवाज के अनुसार श्री रामा जी भैरूलाल को गोद रख लिया जिससे सवला उर्फ सवलाल का गोद पुत्र उनके साथ ही निवास करने लगा तथा वादीगण के पिता श्री रामा जी की मृत्यु श्री रामा जी की विरासत से खुद में भी भैरूलाल ने अपना नाम दर्ज तथा षडयन्त्र करके सवला उर्फ सवलाल मरणोपरान्त उनका नामान्तरण अकेली उनकी पुत्री स्याणी बाई के पक्ष में खुलवाकर हक त्याग स्वयं के पक्ष में करवा लिया। इस प्रकार से भैरूलाल सवला उर्फ सवलाल गोद चला गया था। इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 का रामाजी की सम्पति हक अधिकार नहीं रहा है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादपत्र का किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:17:56 IST
Reason: SelfAttested

खण्डन नही किया। उक्त कथन को साबित करने के लिए वादीगण ने दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2067–70 की प्रदर्श–1, 2, 3 व खेवट खतौनी की जमाबंदी प्रदर्श–4, 5 कराई जो कि वादग्रस्त आराजीयात को स्पष्ट करती है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पिता रामा के नाम परिशिष्ट (क) की आराजी में 2/5 हिस्सा व परिशिष्ट (ख) की आराजी में 1/5 हिस्सा अंकित है जो अपने प्राकृतिक पिता रामा जी व हकत्याग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ है। जमाबंदी संवत 2078–81 व मिलान खसरा प्रदर्श–6 से 15 जो वादग्रस्त आराजीयात के नये आराजी नम्बर को प्रदर्शित करती है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में हकत्याग की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–16 प्रस्तुत की जिसके अध्ययन से यह पाया कि श्रीमती स्याणी पिता सवला जाट द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में उक्त हकत्याग किया जिसमें प्रथम पंक्ति में ही यह स्पष्ट किया कि दोनों पक्षकार एक ही खानदान के होकर आपस में खून का रिश्ता है तथा प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार सहोदर(सगे) भाई बहिन है। उक्त हकत्याग सवला उर्फ सवलाल की एकमात्र पुत्री स्याणीबाई द्वारा सिर्फ भैरूलाल पिता रामा के पक्ष में निष्पादित करवाया जबकि रामा जी के भैरूलाल के अलावा दो पुत्र और दो पुत्रीया भी है। उक्त हकत्याग से वादी के इस कथन को बल मिलता है कि सवला उर्फ सवलाल के कोई पुत्र संतान नही होने से भैरूलाल पिता रामा उनके गोद गया था जिससे स्याणीबाई द्वारा अपने भाई के पक्ष में उक्त हकत्याग को निष्पादित किया।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र स्वयं का पेश किया साथ ही अन्य शपथ पत्र चम्पालाल पिता कन्ना जाट, कनीराम पिता रूपाराम जाट, प्रतापलाल पिता कन्ना कुम्हार का पेश किया जिसमें शपथकर्ता द्वारा बताया कि वह वादी एवं प्रतिवादी तथा उनकी जायदाद को अच्छी तरह से जानते है। प्रतिवादी भैरूलाल उसके बड़े पिता सवला उर्फ सवलाल के कोई पुत्र संतान नही होने से रामा के पुत्र भैरूलाल को बचपन में ही सवला उर्फ सवलाल ने गोद ले लिया था जिसकी बाबत की गई सामाजिक रस्म में मै भी मौजूद था। शपथ कर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि भैरूलाल उसके मूल पिता रामाजी के मरणोपरान्त खोले गये नामान्तरण में भी अपना नाम दर्ज करवा कर उनकी सम्पति में भी अपना हिस्सा ले लिया जो गलत है जबकि रामाजी की सम्पति पर किशनलाल एवं हरलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है भैरूलाल का रामाजी की सम्पति पर कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादपत्र पर किसी प्रकार जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे वादी के कथन को बल मिलता है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में अन्य दस्तावेज के रूप में बडवा की पोथी की फोटो प्रति, घरेलु बिजली बिल की प्रति पेश की। बिजली की प्रति में भी प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल जाट के पिता का नाम सवलाल अंकित है जिससे भी वादी के वाद को बल मिलता है। बिजली बिल की प्रति में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम सवलाल अंकित होने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 सवला उर्फ सवलाल के यहा (गोद) गया था।

6\. अतः उपरोक्त विवेचन से यह पाया कि प्रदर्श–16 हकत्याग की प्रमाणित प्रति व प्रस्तुत शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि सवला उर्फ सवलाल की एकमात्र पुत्री द्वारा अपने भाई गोद पुत्र के पक्ष में उक्त हकत्याग को निष्पादित किया जबकि रामा जी के अन्य दो पुत्र व दो पुत्रीया भी है। प्रतिवादी संख्या 1 सवला उर्फ सवलाल के यहां(गोद) जाने से उसका अपने जैविक पिता की विरासत में कोई हिस्सा नहीं रहता [illegible] कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की नाम की दो वल्दीयत नहीं [illegible] भैरूलाल के सवला उर्फ सवलाल के यहां (गोद) [illegible] हिस्सा अपने जैविक पिता रामाजी की विरासत में नहीं रहता है। [illegible] (गोद) पिता सवला उर्फ सवलाल के वारिसान के रूप में रहता है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by:Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:17:56 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 स्वीकार किया जाकर डि
किया जाता है कि मौजा पिथलपुरा पटवार हल्का पिथलपुरा तहसील कानोड जि
उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 69 की आराजी संख्या
442, 571, 572, 577, 751, 752, 762, 763, 764, 891, 893, 894, 897, 905, 912,
931, 934 किता 19 रकबा 8.1500 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पिता
के नाम दर्ज 2/5 हिस्से को संशोधित करते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पिता
के नाम 1/3 हिस्सा रहेगा तथा शेष 1/15 हिस्सा का वादी किशनलाल पिता रामा
हरलाल पिता रामा जाट व गंगा पिता रामा जाट, मु. सोहनी बेवा रामा के नाम रहेगा
उक्त हिस्से 1/15 का किशनलाल पिता रामा जाट, हरलाल पिता रामा जाट व गंगा
रामा जाट, मु. सोहनी बेवा रामा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।
प्रकार खाता संख्या नया 70 की आराजी न. 576, 892 किता 2 रकबा 0.0800 है. भू
प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पिता रामा के नाम दर्ज 1/5 हिस्से को सशोधित कर
प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पिता रामा के नाम 1/6 हिस्सा रहेगा तथा शेष 1/30 हि
वादी संख्या 1 किशनलाल पिता रामा जाट, वादी संख्या 2 हरलाल पिता रामा जा
गंगा पिता रामा जाट, मु. सोहनी बेवा रामा जाट के नाम रहेगा तथा उक्त हिस्से 1
का वादी संख्या 1 किशनलाल पिता रामा जाट, वादी संख्या 2 हरलाल पिता रामा ज
गंगा पिता रामा जाट, मु. सोहनी बेवा रामा जाट को खातेदार काश्तकार घोषित
जाता हैं। इसी प्रकार खाता संख्या नया 20 की आराजी न. 563, 564, 565, 566,
868 से 880 किता 18 रकबा 4.8400 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पिता रा
नाम दर्ज 1/60 हिस्से को भैरूलाल पिता रामा के बजाय वादी संख्या 1 किशनलाल
रामा जाट, वादी संख्या 2 हरलाल पिता रामा जाट व गंगा पिता रामा जाट, मु.
बेवा रामा जाट के नाम दर्ज किये जाने व उक्त हिस्से 1/60 का वादी सं
किशनलाल पिता रामा जाट, वादी संख्या 2 हरलाल पिता रामा जाट व गंगा पित
जाट, मु. सोहनी बेवा रामा जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested